>

Title: Need to implement Land Acquisition Amendment Bill.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों की एक बड़ी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 9 मार्च 2011 यानी परसों के लिए किसानों ने एनसीआर को बंद करने की घोषणा की है। दो वर्ष पूर्व भी आपको ध्यान होगा कि किसान दिल्ली को घेरकर संसद के सामने आने के लिए मजबूर हुए थे परंतु उनकी समस्याओं का कोई प्रभावशाली ढंग से हल नहीं निकाला गया। आज भी किसान को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। किसानों को दिये जाने वाले कर्ज की ब्याज दरें, यद्यपि आज भी उसकी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी उसको कृषि यंत्रों की खरीद पर ऊंची ब्याज दरें देनी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनचाहे ढंग से किसान की जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस कारण सारे देश में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बहुत अधिक आंदोलित है। लाखों हेक्टेअर जमीन जो बहुत उपजाऊ है, असंगठित व कमजोर किसान को मजबूर करके उससे जमीन खरीद ली जाती है। वह सत्ता तंत्र का मुकाबला नहीं कर पाता, मजबूरी में हस्ताक्षर कर देता है और प्रशासनिक अधिकारी कह देते हैं कि मर्जी से अधिग्रहण किया गया है। लाखों हेक्टेअर उपजाऊ जमीन उससे अधिग्रहित करके कोलोनाइजर्स को बेच दी जाती है। राज्यों की सरकारें इसमें निरंकुश होकर सत्ता का दुरुपयोग करती हैं। अधिग्रहण का कारोबर यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो जो खाद्य सुरक्षा कानून पास किया जाने वाला है, उसका क्या परिणाम होगा? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि सरकार किसानों की समस्या का हल करे तथा अनेक वर्षों से लम्बित भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को संसद में तुंत विचारार्थ प्रस्तुत करे और अब तक लागू कानूनों में आवश्यक संशोधन करते हुए उसे पास कराए ताकि किसानों का शोषण न हो सके और उन्हें बार बार संसद के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर न होना पड़े। धन्यवाद।